### <u>न्यायालयः—द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—1 तहसील बैहर,</u> <u>जिला बालाघाट (म0प्र0)</u> समक्षःदिलीप सिंह

<u>व्य0वा0क0—300105ए / 2014</u> <u>संस्थित दिनांक—03.11.2014</u> फाईलिंग क.234503008852014

1—फूलसिंह पिता जोहरू, आयु 42 साल, 2—फूलवतबाई पिता जोहर आयु 60 साल, 3—फुलेश्वर बाई पिता जोहरू आयु 38 साल, 4—दुलेश्वर बाई पिता जोहरू आयु 36 साल, सभी जाति गोंड निवासी चिचगांव, तहसील बिरसा, जिला बालाघाट म.प्र.

....वादीगण

### -// विरूद्ध//-

1—हीरनबाई पति स्व. मन्नुसिंह आयु 70 साल, 2—गुव्हासिंह पिता मन्नुसिंह आयु 50 साल, 3—धुपनबाई पिता मन्नुसिंह आयु 45 साल, सभी जाति गोंड निवासी चिचगांव, तहसील बिरसा, जिला बालाघाट म.प्र. 4—मध्यप्रदेश राज्य द्वारा पदेन उपसचिव एवं जिलाध्यक्ष बालाघाट।

...प्रतिवादीगण

# -//<u>निर्णय</u>//

## (<u>आज दिनांक-31/07/2017 को घोषित</u>)

- 1. वादीगण ने यह वादपत्र हक के स्थाई निषेधाज्ञा की घोषणा व संशोधन पंजी क—1 दिनांक—25.11.83 व संशोधन पंजी क.—2 दिनांक—25. 11.83 को प्रभावशून्य घोषित किये जाने हेतु प्रस्तुत किया है।
- 2. वादीगण का वादपत्र संक्षेप में इस प्रकार है कि वादीगण के पिता जोहरू द्वारा दिनांक—05.12.1956 को गुमान सिंह से 315/—रूपये में एवं वादीगण के काका जोरसिंह द्वारा दिनांक—23.11.56 को मु. सत्तोबाई से 140/—रूपये में वादपत्र के पैरा—3 में उल्लेखित विवादित भूमि क्रय की थी। उक्त दोनों खसरे नंबर की भूमियां विवादित भूमि हैं। विवादित भूमि ख.क. 2 रकबा 8.02 एकड़ का नामांतरण संशोधित पंजी क.—25 दिनांक—14.05.57 के

द्वारा वादीगण के पिता के नाम से राजस्व प्रलेखों में दर्ज किया गया था एवं वादीगण के काका जोरसिंह के द्वारा भी ख.नं.—4 रकबा 6.34 एकड़ मौजा चीचगांव प.ह.नं.44 दिनांक—23.11.56 अनुसार सत्तोबाई से क्रय कर संशोधन पंजी क.—23 दिनांक—13.05.57 अनुसार नामांतरण करवाकर राजस्व प्रलेखों पर विधिवत् रूप से नाम दर्ज करवा लिया था। वादीगण के पिता तथा काका द्वारा क्रय की गई भूमि मौजा चीचगांव प.ह.नं-44 ख. नं.-4 व ख.नं.-2 जो स्वयं वादीगण के पिता तथा काका द्वारा स्वयं के नाम पर क्रय की गई थी, जो खानदानी हक से प्राप्त संपत्ति नहीं है, जिस पर प्रतिवादीगण के पिता मन्नु का कोई हक व अधिकार नहीं बनता था, किन्तु प्रतिवादीगण के पिता द्वारा राजस्व कर्मचारी व अधिकारी से मिलकर विवादग्रस्त भूमि पर पैसों के बल पर संशोधन पंजी क.-1 से 2 द्वारा दिनांक-25.11.83 के अनुसार अपना नाम वादीगण के पिता से चोरी छिपे विवादित भूमि को हड़पने की नियत से अपना नाम दर्ज करवा लिया, किन्तु उक्त भूमि खानदानी हक की भूमि नहीं है, जिस कारण उक्त संशोधन पंजी प्रथमदृष्टया प्रभाव शून्य किये जाने योग्य है तथा उक्त संशोधन पंजी के माध्यम से किया गया नामांतरण त्रुटिपूर्ण व कपटपूर्ण होने के कारण वादीगण पर बंधनकारक नही है जो कि प्रभावशून्य किये जाने योग्य है।

3. वादीगण का यह भी कहना है कि विवादित भूमि पर प्रतिवादीगण के पिता द्वारा नाम दर्ज करवाये जाने के पश्चात् प्रतिवादीगण के पिता की मृत्यु वर्ष 1992 को तीन वर्ष पूर्ण होने के कारण प्रतिवादीगण द्वारा उक्त विवादित भूमि पर संशोधन पंजी क.—32, 33 दिनांक—20.08.92 के अनुसार वादीगण के बिना जानकारी के प्रतिवादीगण द्वारा अपना नाम फौती दर्ज करवा लिया गया जो कि वादीगण की जानकारी के बिना गोपनीय रूप से उक्त कार्य किया गया है, जो वादीगण पर बंधनकारक न होने से प्रभावशून्य किया जाना न्यायसंगत होगा। विवादित भूमि पर प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण के पिता की मृत्यु के पश्चात् फौती दाखला कर संशोधन पंजी क.—31 दिनांक—02.10.97 के अनुसार अपना नाम यथावत रखा गया तथा वादीगण का नाम नामांतरण पश्चात् जोड़ा गया है जो कि वादीगण की जानकारी के बिना गोपनीय रूप से किया गया, जो वादीगण पर बंधनकारक न होने से प्रभावशून्य घोषित किये जाने योग्य है। वादीगण व प्रतिवादीगण के काका लाऔलाद थे। वादीगण के काका द्वारा उनके जीवनकाल में विवादित भूमि ख.नं—4 में से वादीगण के काका द्वारा उनके जीवनकाल में विवादित भूमि ख.नं—4 में से

रकबा 3.00 एकड़ भूमि 18000 / —रूपये में केता सावित्रीबाई को विक्रय की गई, जिसे संशोधन पंजी क.—24 दिनांक—12.03.99 द्वारा नामांतरण कर दिया गया इसी तरह विवादित भूमि को जोरसिंह द्वारा उसके जीवनकाल में सुमेरी के पक्ष में दान पत्र के माध्यम से ख.नं—4 / 1 में से रकबा 0.30 डिसमिल भूमि दान दी गई है। धानुसिंह के तीन पुत्र जोहरू, जोरसिंह व मन्नु हुए थे, जिसे नामांतरण करवाकर अपने नाम से दर्ज करवा लिया गया था, किन्तु प्रतिवादीगण के पिता ने विवादित भूमि पर अपना नाम दर्ज करवा लिया था। वादीगण ने उनके वादपत्र की प्रार्थना के अनुसार उनके पक्ष में डिकी दिये जाने का निवेदन किया है।

प्रति.क.-1 से 3 की ओर से वादी के वादपत्र का जवाबदावा प्रस्तुत कर वादी के वाद को अस्वीकार कर अपने विशेष कथन में कहा है कि मूल पुरूष धानु मौजा चिचगांव प.ह.नं-44 रा.नि.मं. बिरसा तह. बिरसा जिला बालाघाट का स्थाई निवासी व कृषक था, जिसके 3 पुत्र क्रमशः जोहरूसिंह, जोरसिंह व मन्नुसिंह थे जो कि मौजा चिचगांव प.ह.नं. 44 स्थित भूमि जिसका रकबा 14.36 एकड़ था, जिसमें तीनों भाई कास्त व उपभोग करते थे। वादीगण मृतक जोहरूसिंह के वारसान हैं तथा प्रतिवादीगण मृतक मन्नुसिंह के वारसान हैं। जोरसिंह लाओलाद फौत हुआ था, जिसके कोई वारसान नहीं है। मौजा चिचगांव प.ह.नं. 44 स्थित भूमि ख.नं–2 रकबा 8.02 एकड़ भूमि एवं ख.नं–4 रकबा 6.34 डिसमिल भूमि संयुक्त परिवार के आय से बनाई गई भूमि थी, जिसमें परिवार के तीनों भाईयों का समान हक व हिस्सा था, जिसें शांतिपूर्वक परिवार सहित उपयोग करते थे, किन्तु राजस्व प्रलेखों में दो ही भाईयों का नाम दर्ज किया गया था, जिसे बाद में विवाद न हो सोचकर दोनों भाई जोहरूसिंह व जोरसिंह ने लिखित आवेदन देकर दोनों खातों की भूमि पर भाई मुन्नुसिंह का नाम सहखातेदार के रूप में दर्ज करवाया गया था एवं संशोधन प्रविष्टि दर्ज कर गवाहों के हस्ताक्षर/अंगूठा प्रमाणित कर संशोधन पंजी क.-1 व 2 दिनांक-25.11.1983 के अनुसार मन्नुसिंह का नाम बतौर सहखातेदार के रूप में नाम दर्ज कराया गया, जिसकी जानकारी जोहरू सिंह व उसके परिवार को तथा जोरसिंह को पूर्व से थी, तब से मन्नुसिंह का नाम राजस्व अभिलेख में सहखातेदार के रूप में दर्ज चला आ रहा था। मन्नुसिंह द्वारा दोनों खाते की आधी–आधी भूमि कास्त की जाती रही एवं उपभोग किया गया, उसकी मृत्यु बाद उसकी पत्नी व पुत्र मालिक काबिज हुए हैं।

- प्रतिवादीगण ने यह भी बताया है कि प्रति.क. 1 एवं 2 के पिता एवं प्रति.क. 3 के पति मन्नुसिंह की मृत्यु होने के पश्चात् वर्ष 1992 में स्वयं जोहरूसिंह व जोरसिंह द्वारा भूमि के राजस्व अभिलेख में स्वयं उपस्थित होकर मन्नुसिंह के वारसान स्वरूप हीरनबाई व पुत्र गुव्हासिंह का नाम संशोधन पंजी क.—32 व 33 दिनांक—20.08.1992 अनुसार दर्ज करवाया जाकर तहसीलदार बिरसा से प्रमाणित करवाया गया, तब प्रतिवादीगण का नाम बतौर भूमि स्वामी सहखातेदार के रूप में कराया गया, जिसकी जानकारी जोहरूसिंह के परिवार व जोरसिंह को है। वर्ष 1996 में जोहरूसिंह का निधन होने के पश्चात् वादी क.-1 द्वारा भूमि के राजस्व अभिलेख में अपना नाम दर्ज कराने की कार्यवाही की गई। उसके पश्चात् सह खातेदार जोहरूसिंह के फौत होने के कारण वादी क.-1 का नाम संशोधन क-31 दिनाक-02.10.97 को दर्ज हुआ था। वादी क.-1 को प्रतिवादीगण के नाम दर्ज होने की जानकारी हुई तब वादीगण या उसके किसी अन्य पारिवारिक सदस्यों द्वारा प्रतिवादीगण का नाम कटवाने की कोई कार्यवाही नहीं की गई और कास्त कब्जा में किसी प्रकार की दखलन्दाजी नहीं की गई। जोरसिंह ने विक्रय पत्र के द्वारा संशोधन पंजी क.—24 दिनांक—12.03.1999 के आधार पर केता सावित्री बाई का नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज चला आ रहा है। इसी प्रकार उनके हिस्से में बची भूमि ख.नं-4/1 भूमि रकबा 0.30 डिसमिल भूमि जोगीलाल को रजिस्टर्ड दानपत्र के द्वारा हस्तांतरित किया, जो कि संशोधन पंजी क.—38 दिनांक—19.08.2003 के अनुसार राजस्व अभिलेख में जोगीलाल के नाम से दर्ज चला आ रहा है, जिसकी जानकारी उभयपक्ष को थी। प्रति.क. 1 लगायत 3 ने वादीगण का वाद निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।
- 6. प्रकरण में प्रति.क. 04 दिनांक 19.12.14 को एकपक्षीय हो गया है, इस कारण प्रति.क. 04 की ओर से वादीगण के वादपत्र का जवाब नहीं दिया गया है।
- 7. प्रकरण में तत्कालीन पूर्व पीठासीन अधिकारी ने वादप्रश्न विरचित किये थे, जिनके सम्मुख मेरे द्वारा विवेचना उपरांत निष्कर्ष अंकित किये गए।

Φ.	वादप्रश्न	निष्कर्ष
1	क्या मौजा चीचगांव प.ह.नं. 44, रा.नि. मं. मोहगांव, तहसील बिरसा, जिला	''प्रमाणित नहीं''
	बालाघाट स्थित खसरा नंबर—2, 4 रकबा 8.02, 3.34 एकड़ भूमि पर वादीगण को एकमात्र स्वत्व प्राप्त है ?	
2	क्या उक्त विवादित भूमि की संशोधन पंजी क.—1 व 2, दिनांक—25.11.1983 वादीगण के विरूद्ध प्रभावशून्य है ?	''प्रमाणित नहीं''
3	क्या वादी का वाद समय अवधि बाह्य है ?	''प्रमाणित नहीं''
4	सहायता एवं व्यय ?	वादीगण का वादपत्र निर्णय की
Æ.	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	कंडिका—16 के अनुसार निरस्त किया गया है।

#### वादप्रश्न क01 एवं 02 का निराकरणः

- 8. वादप्रश्न क. 1 एवं 2 एक—दूसरे से संबंधित है, इस कारण उक्त दोनों वादप्रश्नों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।
- वादी फूलसिंह वा.सा.1 ने स्वयं के मुख्यपरीक्षण के शपथपत्र में बताया है क़ि उसके पिता जोहरू ने गुमानी से विवादित भूमि सर्वे क. 2 रकबा 8.02 एकड़ दिनांक-05.12.1956 को 315 / -रूपये में एवं वादीगण के काका जोरसिंह ने सत्तोबाई से विवादित भूमि ख.क.-4 रकबा 3.34 एकड़ दिनांक—23.11.1956 को 140 / —रूपये में मौजा चिचगांव प.ह.नं, रा.नि.मं. मोहगांव तहसील बिरसा जिला बालाघाट की भूमियां क्रय की थीं। वादीगण ने उक्त भूमियां स्वयं के स्वत्व की बताई है। वादीगण के पिता ने क्रय की गई भूमि का नामांतरण संशोधन पंजी क.—25 दिनांक—14.05.1957 के अनुसार कराकर विधिवत् रूप से राजस्व प्रलेखों में एवं वादीगण के काका द्वारा मौजा चिचगांव की विवादित भूमि ख.क-4 रकबा 6.34 एकड़ भूमि संशोधन पंजी क.—23 दिनांक—13.05.1957 के अनुसार नामांतरण कराकर राजस्व प्रलेखों में विधिवत् रूप से अपने नाम दर्ज करवाए थे। वादीगण के पिता एवं काका अशिक्षित थे, इसका फायदा उठाकर प्रतिवादीगण के पिता मन्तु ने अधिकारियों से मेलजोल एवं पैसो के प्रभाव से वादग्रस्त भूमि पर वादीगण के पिता की जानकारी के बिना स्वयं का नाम दर्ज करवा लिया था। प्रतिवादीगण के पिता का नाम दर्ज होने के बाद

वादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादीगण के पिता एवं प्रतिवादीगण का कोई कब्जा नहीं रहा, विवादित भूमियां खानदानी हक से प्राप्त भूमियां नहीं है। इस कारण प्रतिवादीगण के पिता का उक्त विवादित भूमियों पर कोई अधिकार नहीं है, लेकिन प्रतिवादीगण के पिता ने वादग्रस्त भूमि पर संशोधन पंजी क.—1 एवं 2 के द्वारा दिनांक—25.11.1983 द्वारा स्वयं के नाम वादी के पिता एवं काका से चोरी से दर्ज करवा लिया है। उक्त संशोधन पंजी में मन्नू का नाम गलती से दर्ज नहीं होना बताया था। संशोधन पंजी कृ.-1 एवं 2 के द्वारा किया गया नामांतरण त्रुटिपूर्ण है। प्रतिवादीगण के पिता की मृत्यु के कारण प्रतिवादीगण के द्वारा उक्त वादग्रस्त भूमि पर संशोधन पंजी क.-32, 33 दिनांक—20.08.1992 के अनुसार वादीगण की बिना जानकारी के अपना नाम फौती दर्ज करवा लिया था। वादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादीगण के द्वारा वादीगण के पिता की मृत्यु के पश्चात् फौती दाखिला कर संशोधन क.-31 दिनांक-02.10.1997 के अनुसार अपना नाम यथावत रखा गया है। वादीगण का नाम नामांतरण के पश्चात् जोड़ा गया है। वादीगण के काका जोरसिंह के द्वारा वर्ष 1957 में खसरा क.—4 में से रकबा 6.37 एकड़ भूमि सत्तोबाई से क्य की थी। वादीगण विवादित संपत्ति पर उनके पिता एवं काका से प्राप्त भूमि पर कृषि कार्य करने के लिए गए थे, तो प्रतिवादीगण ने उनका हक होना बताया था। वादी फूलसिंह वा.सा.1 की इस साक्ष्य का समर्थन वादी साक्षी फुलवतबाई वा.सा.२ ने उसके मुख्यपरीक्षण के शपथपत्र में किया है। वादीगण ने दस्तावेजी साक्ष्य में विवादग्रस्त भूमियों के प्रदर्श पी-1 लगायत प्रदर्श पी-15 के राजस्व दस्तावेज प्रस्तुत किये हैं।

10. प्रतिवादी गुव्हासिंह प्र.सा.1 ने वादीगण की साक्ष्य का खण्डन करते हुए बताया है कि मूल पुरूष धानू थे, जिनके वादीगण एवं प्रतिवादीगण के पिता, पुत्र थे। जोरसिंह वादीगण के काका थे, जो लाऔलाद फौत हुए थे। भूमि ख.क.—2 रकबा 8.02 एकड़ भूमि खसरा नंबर—4 रकबा 6.34 एकड़ भूमि संयुक्त परिवार की आय से बनाई गई भूमि है, जिसमें परिवार के तीनों भाई जोहरू, जोरसिंह व मन्नूसिंह का हिस्सा था। उक्त भूमि पर सभी लोग कास्त करते थे, परंतु राजस्व अभिलेख में मात्र जोहरू व जोरसिंह का नाम दर्ज करा दिया गया था। दोनों भाईयों ने उनके जीवनकाल में लिखित आवेदन देकर राजस्व अधिकारियों से दोनों खातों की भूमि के राजस्व अभिलेख में उनके भाई साक्षी के पिता मन्नुसिंह का नाम सहखातेदार के रूप में दर्ज

कराया था तथा गवाहों के समक्ष जोहरू व जोरसिंह के द्वारा संशोधन पंजी क.-1 व 2 दिनांक-25.11.1983 के अनुसार संशोधन प्रविष्टि दर्ज कराई थी, तब से मन्नुसिंह का नाम भूमि के राजस्व अभिलेख में सहखातेदार के रूप में चला आ रहा है, जिसकी जानकारी वादीगण के पिता एवं जोरसिंह को थी। प्रतिवादीगण के पिता वादग्रस्त भूमियों का आधा–आधा हिस्सा बंटवारे में प्राप्त कर कास्त करते थे व आधे—आधे हिस्से पर जोहरूसिंह व जोरसिंह काबिज होकर उपयोग करते थे। जितनी भूमि पर जोरसिंह कास्त करता था उतनी भूमि पर जोहरूसिंह के वारसान कास्त करते चले आ रहें हैं। वर्ष 1992 में जोहरूसिंह व जोरसिंह के द्वारा मन्नुसिंह की मृत्यु हो जाने पर स्वयं उपस्थित होकर राजस्व कर्मचारी व अधिकारी के माध्यम से मन्नुसिंह के वारसान हिरनबाई व गुव्हासिंह का नाम संशोधन पंजी क.-32 व 33 दिनांक-20.08.1992 के अनुसार तहसीलदार बिरसा से प्रमाणित कराया था। साक्षी एवं उसकी माँ हिरनबाई का नाम राजस्व अभिलेख में जोरसिंह व जोहरूसिंह के साथ शामिल सरीक में चला आ रहा है, जिसकी जानकारी वादीगण एवं उसके वारसानों को थी। वर्ष 1996 में जोहरूसिंह फौत हुआ था, तब वादी क.-1 द्वारा फौती संबंधी कार्यवाही कर सहखातेदार के रूप में अपना नाम संशोधन क.—31 दिनांक—02.10.1997 के द्वारा दर्ज कराया था। फुलसिंह व उसके परिवार के सदस्यों को प्रतिवादीगण के नाम दर्ज होने की जानकारी थी, लेकिन उन्होंने उसके संबंध में कभी कोई कार्यवाही नहीं की थी।

11. गुव्हासिंह प्रति.सा.1 ने उसकी साक्ष्य में बताया है कि जोरसिंह की मृत्य होने के कारण खसरा क.—4/1 रकबा 3.04 एकड़ भूमि के राजस्व अभिलेख में जोरसिंह का नाम शामिल खाते में दर्ज था। जोरसिंह की मृत्यु होने पर संशोधन पंजी क.—6/81 दिनांक—25.06.2009 के अनुसार उक्त साक्षी के नाम से राजस्व अभिलेख में दर्ज किया गया था, जिसकी किसी ने कोई आपत्ति नहीं की थी। मन्नुसिंह की मृत्यु के बाद फौती दाखिला जोरसिंह व जोहरूसिंह के द्वारा उपस्थित होकर वर्ष 1992 में कराया था। उक्त साक्षी एवं उसकी माँ हिरनबाई का नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज कराया था, उसके बाद वर्ष 1996 में जोहरूसिंह की मृत्यु हुई थी, तब फौती दाखिला कराया जाकर वादी फूलसिंह का नाम दर्ज करवाकर रिकॉर्ड दुरूस्त करवाया था, तब भी साक्षी एवं उसकी माँ का नाम सहखातेदार के रूप में

दर्ज था। वर्ष 2009 में जोरसिंह की मृत्यु हुई थी, तब प्रतिवादीगण द्वारा फौती दाखिला कराया गया था, तब से भूमि खसरा क.—4/1 रकबा 3. 04 एकड़ भूमि के राजस्व अभिलेख में प्रतिवादीगण का नाम दर्ज है एवं वह उक्त भूमि पर काबिज हैं। इसी प्रकार ख.नं—2 रकबा 4:00 एकड़ भूमि पर प्रतिवादीगण का कब्जा है एवं उक्त भूमि के प्रतिवादीगण मालिक हैं। प्रतिवादी गुव्हासिंह की साक्ष्य का समर्थन उसके साक्षी कमलप्रसाद रहांगडाले प्र.सा.1, हरेसिंह प्र.सा.3 एवं धरमसिंह मड़ावी प्र.सा.4 ने उनकी साक्ष्य में किया था।

- 12. प्रकरण में वादीगण द्वारा प्रस्तुत किया गया प्रदर्श पी—14 के अधिकार अभिलेख से भूमि खसरा क्रमांक—4 रकबा 6.34 एकड़ भूमि जोरसिंह द्वारा मु. सत्तोबाई से क्रय करने के कारण जोरसिंह के नाम पर उक्त भूमि दर्ज हुई थी एवं प्रदर्श पी—15 के अधिकार अभिलेख द्वारा भूमि सर्वे क्रमांक—2 रकबा 8.02 एकड़ भूमि वादी के पिता जोहरू द्वारा गुमानी से क्रय करने के कारण उक्त भूमि वादीगण के पिता के नाम पर दर्ज हुई थी। प्रदर्श पी—5 के खसरा पांचसाला में भी प्रदर्श पी—14 के अधिकार अभिलेख की भूमि जोरसिंह के नाम पर एवं प्रदर्श पी—15 के अधिकार अभिलेख की भूमि वादीगण के पिता के नाम पर एवं प्रदर्श पी—15 के अधिकार अभिलेख की भूमि वादीगण के पिता के नाम भूमि स्वामी आधिपत्यधारी के रूप में दर्ज है।
- 13. प्रश्नाधीन प्रकरण में प्रदर्श पी—7 की संशोधन पंजी कमांक—25 संशोधन दिनांक—14.05.57 के द्वारा भूमि खसरा कमांक—2 रकबा 8.02 एकड़ भूमि का नामांतरण गुमानी के नाम से वादीगण के पिता के नाम पर हुआ था एवं प्रदर्श पी—6 की संशोधन पंजी कमांक—23 दिनांक—13.05.1957 के द्वारा भूमि खसरा कमांक—4 रकबा 6.34 एकड़ का नामांतरण सत्तोबाई के नाम से वादीगण के काका जोरसिंह के नाम पर हुआ था। प्रदर्श पी—8 की संशोधन पंजी कमांक—1 एवं 2 दिनांकित 25.11.83 के द्वारा वादीगण के पिता एवं काका के नाम की विवादित भूमि पर प्रतिवादी कमांक—1 व 2 के पिता एवं प्रतिवादी कमांक—3 के पित मन्नु का नाम भी दर्ज किया गया था। प्रदर्श पी—8 की संशोधन पंजी में यह लिखा है कि उक्त संशोधन पंजी में जोरसिंह एवं जोहरू का नाम दर्ज था। गलती से मन्नु का नाम दर्ज नहीं हो पाया था। इस कारण दोनों खातों में मन्नु का नाम भी दर्ज किया गया था। वादीगण की साक्ष्य के अनुसार उक्त संशोधन पंजी में वादीगण के पिता या काका से चोरी छिपे से वादग्रस्त भूमि पर वादीगण के पिता एवं काका के

g

साथ मन्तु ने अपना नाम जुड़वाया था। प्रति क.1 एवं 2 के पिता की मृत्यु के पश्चात् प्रतिवादीगण द्वारा वादग्रस्त भूमि पर संशोधन पंजी क्रमांक-32-33 प्रदर्श पी-9 के द्वारा दिनांक-20.08.92 को भूमि खसरा क्रमांक-4 पर मन्नु का पुत्र गुव्हा पत्नी हिरनबाई एवं वादीगण के काका जोरसिंह का नाम एवं भूमि खसरा क्रमांक—2 रक्बा 3.245 एकड़ भूमि पर प्रतिवादी क्रमांक—1 एवं मन्नु की पत्नी हिरनबाई एवं वादीगण के पिता जोहरू के नाम पर नामांतरण हुई थी। प्रदर्श पी-10 की संशोधन पंजी क्रमांक-31 दिनांकित 02.10.97 के द्वारा भूमि खसरा क्रमांक-2 रकबा 3.24 एकड़ भूमि पर वादी क्र.1 प्रति. क. 2 एवं मन्नु की पत्नी हिरनबाई के नाम पर दर्ज हुई थी। प्रदर्श पी-11 की संशोधन पंजी दिनांकित 25.07.09 भूमि खसरा क्रमांक-4/1 रकबा 3.04 एकड़ भूमि जोरसिंह के फौत होने एवं उसके लाऔलाद होने के कारण प्रति. क.1 एवं उसकी मॉ के नाम पर उक्त संशोधन पंजी में उल्लेखित भूमि दर्ज हुई थी। प्रदर्श पी–12 की संशोधन पंजी क.24 दिनांकित 12.03.1999 के द्वारा भूमि ख.क.4 में से रकबा 3.00 एकड़ भूमि जोरसिंह के द्वारा उक्त भूमि सावित्रीबाई को विक्रय करने के कारण उक्त भूमि पर सावित्रीबाई का नाम दर्ज हुआ था। प्रदर्श पी-13 की संशोधन पंजी क्रमांक-38 दिनांकित 19.08.2003 के द्वारा भूमि खसरा क्रमांक-4/1 में से रकबा 0.30 एकड़ भूमि जोरसिंह के द्वारा जोगीलाल को दान करने के कारण जोगीलाल के नाम पर दर्ज हुई थी।

14. वादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रदर्श पी—1 के खसरा पांचसाला में भूमि खसरा कमांक—4/1 रकबा 8.231 एकड़ भूमि पर जोरसिंह, गुव्हासिंह, हिरनबाई के नाम पर दर्ज है एवं प्रदर्श पी—2 के खसरा पांचसाला में भूमि खसरा क. 2 रकबा 3.245 एकड़ भूमि पर वादी क.1, प्रति.क. 2 के नाम पर दर्ज है। प्रतिवादीगण ने भी संशोधन पंजी कमांक—31—32 प्रदर्श डी—3 संशोधन पंजी क.31 प्रदर्श डी—4 संशोधन पंजी दिनांक—25.07.2009 की संशोधन पंजी प्रदर्श डी—6 संशोधन पंजी क. 32—33 प्रदर्श डी—7 प्रस्तुत की है। उक्त संशोधन पंजी वादीगण ने भी प्रस्तुत की है। प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत किये गए प्रदर्श डी—5 की संशोधन पंजी में यह उल्लेख है कि आवेदन प्रस्तुत होने पर भूमि खसरा क.4 रकबा 6.24 एकड़ जोरसिंह के साथ मन्नु के नाम एवं भूमि खसरा क—2 रकबा 8.02 एकड़ भूमि पर आवेदनपत्र के द्वारा जोहरूसिंह के साथ मन्नु के नाम दर्ज होने का आदेश हुआ था। उक्त संशोधन पंजी

में यह लिखा है कि उक्त भूमियों पर मन्तु का नाम गलती से दर्ज नहीं हुआ था। इस कारण उसका नाम दर्ज किया गया था। संशोधन पंजी में जोहरूसिंह और जोरसिंह के अंगूठा निशानी है और उक्त संशोधन पंजी के साक्षी हरेसिंह प्र.सा. 3 और धरमसिंह प्र.सा.4 हैं। उक्त साक्षीगण ने भी विवादित भूमि से संबंधित प्रदर्श डी-5 की संशोधन पंजी की कार्यवाही का समर्थन किया है। वादीगण ने विवादित भूमि उनके पिता एवं काका जोरसिंह के द्वारा क्रय होना बताया है एवं उक्त भूमि को स्वअर्जित होना बताया है परंतु भूमि खसरा कमांक−2 रकबा 8.02 एकड़ दिनांक−05.12.1956 का विक्रयपत्र एवं खसरा क्रमांक-4 रकबा 3.34 एकड़ भूमि का दिनांक-23.11.56 का विक्रयपत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। वादीगण ने उक्त विक्रयपत्र प्रस्तुत नहीं करने के संबंध में कोई उचित कारण नहीं बताया है। वादीगण के अभिवचन और साक्ष्य से यह दर्शित नहीं होता है कि वादीगण के पिता एवं उनके काका ने विवादित भूमियों को नाबालिग अवस्था में क्रय की थी या स्वयं की आय से क्रय की थी। यदि वादीगण उनके पिता एवं काका द्वारा क्य की गई भूमि के विक्यपत्र की प्रति प्रस्तुत करते तो उनसे यह पता चल सकता था कि विवादित भूमियां वादीगण के पिता एवं काका ने स्वयं की अर्जित आय से कय की थी या पारिवारिक आय से कय की थी। दिनांक-05.12.1956 एवं दिनांक-23.11.1956 के विक्रयपत्र के संबंध में वादीगण ने कोई स्थिति स्पष्ट नहीं की है कि विक्रयपत्र किसके पास है इस कारण साक्ष्य अधिनियम की धारा–114 के अंतर्गत यह उपधारणा की जाती है कि यदि वादीगण दिनांक-05.12.1956 एवं दिनांक-23.11.1956 के विक्यपत्रों को प्रस्तुत करते तो वह उनके प्रकरण पर विपरीत प्रभाव डालते, इसलिए यह प्रमाणित नहीं माना जाता कि विवादित भूमियां वादीगण के एकमात्र स्वामित्व की है, इसलिए संशोधन पंजी क्रमांक-1 एवं 2 दिनांकित 25.11.1983 को प्रभावशून्य माना जाना उचित नहीं है। वादीगण वादप्रश्न क. 1 व 2 को अपने पक्ष में प्रमाणित करने में असफल रहे हैं।

## वादप्रश्न क.-03 का निराकरण

15. प्रश्नाधीन प्रकरण में वादीगण ने प्रथम बार दिनांक—11.07.14 को एवं दूसरी बार विवादग्रस्त भूमि के राजस्व दस्तावेजों के प्राप्त होने पर उनका दिनांक—16.07.14 को अवलोकन करने पर उक्त दो दिनांको को वाद कारण

उत्पन्न होना बताया है। वादीगण ने वादग्रस्त भूमि पर अपना आधिपत्य होना बताया है। वादीगण ने दिनांक-03.11.14 को न्यायालय में वादपत्र प्रस्तुत किया है। इस कारण वादीगण का वाद अवधि बाह्य नहीं माना जाता है।

# वादप्रश्न क.-4 सहायता एवं व्यय

- प्रकरण की उपरोक्त विवेचना में वादीगण वादग्रस्त भूमि के संबंध में अपना वाद प्रमाणित करने में असफल रहे हैं। अतः वादीगण का वाद निरस्त किया जाता है। परिणाम स्वरूप निम्न आशय की डिकी पारित की जाती है।
- 1- उभयपक्ष अपना-अपना वाद व्यय वहन करेंगे।
- 2- अभिभाषक शुल्क नियामानुसार देय होगी।

तदानुसार आज्ञप्ति बनाई जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित, मेरे बोलने पर टंकित। हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

#### (दिलीप सिंह)

द्वि0व्य0न्याया0 वर्ग—1, बैहर तहसील बैहर जिला बालाघाट

#### (दिलीप सिंह)

.0न्याया० .१ बेहर जिल द्वि0व्य0न्याया0 वर्ग-1,बैहर तहसील बैहर जिला बालाघाट